बिहार लोक सेवा आयोग, पटना

प्रेस-विज्ञप्ति

बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 21.07.2024 को अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा (TRE-3.0) के अन्तर्गत वर्ग 9 से 10 (माध्यमिक तथा विशेष विद्यालय अध्यापक पद के सभी विषयों के लिए) एवम् वर्ग 6 से 10 (अनुसूचित जाति एवम् अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग) की परीक्षा राज्य स्थित 27 जिलों के अन्तर्गत कुल 288 केन्द्रों में शांतिपूर्ण एवम् कदाचाररहित आयोजित की गयी, जिसमें अभ्यर्थियों की उपस्थिति लगभग 94.45 प्रतिशत रही।

उक्त परीक्षा को कदाचारमुक्त एवम् स्वच्छ संचालन करने हेतु आयोग द्वारा सभी परीक्षा केन्द्रों में आधुनिक तकनीक की व्यवस्था की गयी थी, जिसकी निगरानी करने हेतु जिला स्तर पर एवम् आयोग कार्यालय में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया। इसके अतिरिक्त परीक्षा केन्द्र पर अनिवार्य Frisking की व्यवस्था की गयी।

उपर्युक्त आधुनिकतम तकनीकी व्यवस्थाओं एवम् गहन पर्यवेक्षण की सहायता से कुल 11 जिले के 22 अभ्यर्थियों को Impersonation के मामले में पकड़ा गया है। इन सभी अभ्यर्थियों पर 'बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981' एवम् 'भारतीय न्याय संहिता' के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज करते हुए उचित कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावे आयोग द्वारा आगामी आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं से इन अभ्यर्थियों को स्थायी रूप विवर्जित (Debar) करते हुए देश के अन्य सभी लोक सेवा आयोगों को इस सम्बन्ध में सूचना दी जा रही है।

इसके अतिरिक्त TRE-3.0 पुनर्परीक्षा एवम् अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित सभी परीक्षार्थियों के डाटा का मिलान किया जा रहा है। यदि उक्त डाटा में किसी प्रकार की विसंगतियाँ पायी जाती है, तो वैसे सभी अभ्यर्थियों (मूल अभ्यर्थी एवम् उनके स्थान पर उपस्थित अभ्यर्थी) को परीक्षाओं/परीक्षाफल से वंचित करते हुए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981' के सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज की जायेगी। साथ ही, आयोग के सभी परीक्षाओं से विवर्जित (Debar) किया जायेगा। इसके अतिरिक्त उनके अभिभावकों पर आर्थिक दण्ड नियमानुकूल ढंग से लगाया जा सकता है।

21.7.2024

परीक्षा नियंत्रक
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना